

- [शिक्षण प्रशिक्षण \(क्लिक करें\)](#)
- [मछुआ सहकारिता \(क्लिक करें\)](#)
- [मत्स्य पालन प्रसार \(क्लिक करें\)](#)
- [बचत सह राहत \(क्लिक करें\)](#)
- [मत्स्य जीवों का दुर्घटना बीमा \(क्लिक करें\)](#)
- [पौण्ड कल्चर \(क्लिक करें\)](#)
- [स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण \(क्लिक करें\)](#)

f'k{k.k i f'k{k.k

;kstuk dk Lo: lk , n ns ykHk %&

इस योजनान्तर्गत मछुआरों को मत्स्य पालन तकनीकी का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में 50/-दैनिक भत्ता, 100/- आने जाने का यात्रा व्यय एवं 400/- मूल्य का नायालोन धागा प्रदाय किया जाता है।

ik=rk %&

पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति का सदस्य या अभिकरण द्वारा तालाब पट्टे पर प्राप्त हो।

;kstuk grq vkonu dk rjhdk , n ml ds l kfk vko'; d nLrkost %&

सादे पेपर पर आवेदन पत्र।

vkonu fdl siLr r djuk gS %&

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी
xro"kl@bl o"kl ds y{; %&

वर्ष 2008-09 वर्ष 2009-10

| लक्ष्य | उप. | लक्ष्य | उप. |
|--------|-----|--------|-----|
| 72 | 72 | 72 | 72 |

(रवि कुमार गजभिये)

उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

eNqk I gdkfjrk

ik=rk %&

पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति होना अनिवार्य

;kstuk dk Lo: lk , 0 ns ykHk %&

इस योजना में 1.00 हेक्टेयर से बड़ा जलक्षेत्र मछुआ सहकारी समितियों के मत्स्य पालन हेतु आवंटित किया जाता है अनु0जन0जा0 एवं अनु0जा0 की मछुआ सहकारी समितियों को 100 हेक्टेयर जलक्षेत्र पर रू. 1.50 लाख हिस्सा पूंजी, पट्टा राशि मत्स्य बीज क्य एवं नाव जाल क्य हेतु अनुदान दिया जाता है ।

;kstuk grq vkonu dk rjhdk , 0 ml ds I kFk vko' ; d nLrkost %&

निर्धारित प्रपत्र ।

vkonu fdl s iLrqr djuk gS %&

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

y{; %forrh; ½

वर्ष 2008-09 वर्ष 2009-10

लक्ष्य उप.

लक्ष्य उप.

1.00 1.00

1.00 1.00

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

(रवि कुमार गजभिये)

उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

eRL; ikyu id kj

;kstuk dk Lo: lk , d n\$ ykhk %&

अनु०जन०जा०/अनु०जाति के मत्स्य पालकों को तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, हितग्राही को 15000 रु. अनुदान सहायता दिया जाता है ।

ik=rk %&

ग्राम पंचायत का 10 वर्षीय पदा होना अनिवार्य

;kstuk grq vkonu dk rjhdk , d ml ds l kfk vko'; d nLrkost %&

निर्धारित प्रपत्र सादे पेपर पर आवेदन पत्र

vkonu fdl s iLrq djuk g\$ %&

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

xr o"kl@bl o"kl ds y{; %foRrh; ½ %&

वर्ष 2008-09 वर्ष 2009-10

लक्ष्य उप. लक्ष्य उप.

1.20 1.20 1.40 1.40

[आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।](#)

(रवि कुमार गजभिये)

उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

cpr l g jkgr

; kstuk dk Lo: lk , d n\$ ykHk %&

बंद ऋतु के दौरान मछुओ को आर्थिक सहायता दी जाती है जिसमे पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्यों द्वारा माह सितम्बर से माह मई तक 50/- प्रति माह प्रति सदस्य की दर से बैंक में जमा कराया जाता है, माह जून, जुलाई एवं अगस्त में 300/- प्रतिमाह के मान से कुल रु. 900.00 तीन किशतों में प्रदाय किया जाता है ।

ik=rk %&

समिति का सदस्य होना अनिवार्य ।

; kstuk grq vkonu dk rjhdk , d ml ds l kfk vko' ; d nLrkost %&

उप संचालक मत्स्योद्योग एवं मछुआ सहोसमिती अध्यक्ष द्वारा बैंक से संयुक्त खाते की छाया प्रति प्रस्तुत करना ।

vkonu fdl s djuk g\$ %&

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

y{; %kkrd% %&

वर्ष 2008-09

वर्ष 2009-10

लक्ष्य उप.

लक्ष्य उप.

- 772

- 1177

(रवि कुमार गजभिये)

उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

erL; thfo; ka dk nqkVuk chek

; kst uk dk Lo: lk %&

योजनान्तर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के सक्रिय मछुओ का निःशुल्क बीमा कराया जाता है,

बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना उपरांत उसके बरिस को रू. 50000.00 एवं स्थायी अपंगता पर रू. 25000.00 की बीमा राशि कंपनी द्वारा प्रदाय की जाती है

ik=rk %&

मत्स्योद्योग विभाग/मत्स्य महासंघ अथवा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के हितग्रही जो मछली पालन/मछली मारने के कार्य में सलग्न है ।

; kst uk grq vkonu dk rjhdk , d ml ds l kfk vko'; d nLrkost %&

सदस्यो की बीमा सूची कार्यालय में जमा करना । निर्धारित प्रपत्र
प्रपत्र

| क्र० | समिति /समूह का नाम | सदस्य का नाम | पिता /पति का नाम | उम्र | जति | पता | महिला / पुरुष | मनोनीत व्यक्ति का नाम | उम्र | बीमित व्यक्ति से संबंध | अन्य |
|------|--------------------|--------------|------------------|------|-----|-----|---------------|-----------------------|------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

vkonu fdl s djuk gS %&

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

y{; %kkf rd %&

वर्ष 2008-09
लक्ष्य उप0
- 3311

वर्ष 2009-10
लक्ष्य उप0
- 3374

(रवि कुमार गजभिये)
उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

i k S M d Y p j

; k s t u k d k L o : l k % &

अभिकरण के उन हितग्राहियों को जिन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर प्रदाय किया जाता है, उन तालाबों में मत्स्य बीज पूरक आहार दवाईया एवं पट्टा राशि हेतु रू. 50000.00 प्रतिहेक्टेयर ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाब सुधार एवं जलीय वनस्पति की सफाई हेतु रू. 75000.00 प्रति हेक्टेयर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराये गये ऋण राशि पर सामान्य वर्ग के मछुओ को 20 प्रतिशत एवं अनु0जा0/जनजाति के मछुओं को 25 प्रतिशत की दर से अनुदान प्रदाय किया जाता है ।

i k = r k % &

हितग्राही के पास ग्राम पंचायत का 10 वर्षीय पट्टा होना अनिवार्य है ।

; k s t u k d s r g r v k o n u d k r j h d k , 0 m l d s l k f k v k o ' ; d n L r k o s t % &

संलग्न (निर्धारित प्रपत्र)

v k o n u f d l s i L r r d j u k g S % &

उप संचालक मत्स्योद्योग, सिवनी

y { ; 1/2 c d d k s i L r r % &

| वर्ष 2008-09 | वर्ष 2009-10 |
|--------------|--------------|
| लक्ष्य उप. | लक्ष्य उप. |
| 76.00 127.32 | 87.80 107.18 |

(रवि कुमार गजभिये)
उप संचा.मत्स्य.मछली पालन विभाग, सिवनी

Lo; a dh Hkfe ea rkykc fuekZ k

; kst uk dk Lo: lk , 0 ns ykHk %&

इस योजनान्तर्गत नये तालाब निर्माण हेतु प्रति हेक्टेयर रू. 3.00 लाख ऋण राशि बैंकों द्वारा स्वीकृत करायी जाती है स्वीकृत ऋण राशि का 20 प्रतिशत सामान्य वर्ग के कृषकों को एवं 25 प्रतिशत अनु0जाति/अनु0जाति के कृषकों को अनुदान सहायता प्रदाय की जाती है।

ik=rk %&

स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है ।

; kst uk grq vkonu dk rjhdk , 0 ml ds l kfk vko' ; d nLrkost %&

आवेदन पत्र सादे पेपर पर एवं कृषक की भूमि का खसरा नक्शा कार्यालय में प्रस्तुत करना है।